P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-II * Issue-XI*July-2015

# भारत में अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति

**सुरेश सिंह**
सहायक प्रध्यापक,
बी.एड. विभाग,
आर.बी.डी. महिला महाविद्यालय,
बिजनौर

**सारांश**

भारत गांवों का देश है जहां पर लगभग 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण परिक्षेत्र में रहते हैं। ऐसे राष्ट्र की शिक्षा की व्यवस्था ग्रामीण परिक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए क्योंकि शिक्षण का कार्य समस्त कायो में पवित्र और परमावश्यक माना जाता है। ज्ञान के दान के समान दूसरा कोई भी परहिताय निर्दिष्ट कार्य नहीं है। शिक्षण की प्रक्रिया निश्चित रूप से अध्यापक शिक्षा पर निर्भर है क्योंकि अध्यापक शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा भावी अध्यापकगण निहित कौशल तथा तकनीकों से परिचित हो सकते हैं और उनमें दक्षतार्जन करते हुए अपेक्षित विभागों को आत्मसात करने में सक्षम हो पाते हैं। यह भी व्यवहार परिवर्तन अथवा सीखने को अभिव्यक्त करने का ही प्रयास है जो अपेक्षित तथा वांछित हो। इस उपयुक्तता का आंकलन प्रायः वैयक्तिक के साथ ही सामाजिक तथा राष्ट्रीय आदर्श, मर्यादा, मान्यता एवं जीवनमूल्यों के सन्दर्भ में किया जाता है। अध्यापक जन्मजात तो होते हैं, लेकिन यदि समाज में जिस संख्या में कुशल अध्यापकों की आज आवश्यक दिखाई देती है, उसे पूर्ण करने के लिए मुष्ठिमेय जन्मजात अध्यापकों से काम नहीं चलाया जा सकता है, तो अध्यापक शिक्षा का सहारा लेकर ही इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा सकता है। यही कारण है कि आज भारत के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण तथा अध्यापक शिक्षा दोनों ही परस्पर परिपूरक प्रक्रियाओं को विशेष महत्व दिया जा रहा है।

**मुख्य शब्द** : कार्यकुशलता, दक्षता।

**प्रस्तावना**

**''श्रेष्ठ लोग शिक्षक की उस शिक्षा को शुद्ध कहते हैं, जो आप लोगों के सम्मुख काली नहीं पड़ती, जैसे– अग्नि में कंचन काला नहीं पड़ता''**

शिक्षा प्रक्रिया के तीन प्रमुख अंगों– शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यवस्तु में शिक्षक का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की धुरी शिक्षक ही होता है। उसके निर्देशन के अभाव में विद्यार्थी समाज, ज्ञानार्जन की सही दिशा का अनुसरण नहीं कर सकता। शिक्षक ही पाठ्यवस्तु को सरस और बोधगम्य बनाते तथा शिक्षा प्रक्रिया को देश–काल के अनुरूप सही दिशा प्रदान करते हैं। एक शिक्षक की भूमिका निर्धारित पाठ्यक्रम को समाप्त करने से लेकर व्यक्तित्व निर्माण तक अर्थात् भावी नागरिकों का शिक्षण व उनके व्यक्तित्व तथा उनके सामाजिक समायोजन की योग्यता के विकास में भी होती है। इस प्रकार व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका बेजोड़ होती है। प्राचीन काल से हमारे देश में समाज के निर्माण का भार शिक्षकों को सौंपा गया था तथा वर्तमान में भी शिक्षकों को उसी परम्परा का निर्वाह करना होगा। स्वतन्त्र भारत में शिक्षक– शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। डॉ0 एस0एन0मुखर्जी ने शिक्षाशास्त्री किल पैट्रिक महोदय का यह कथन उद्धत किया है कि प्रशिक्षण सरकार में कार्य करने वालों तथा जानकार लोगों को दिया जाता है लेकिन अध्यापक को शिक्षा दी जाती है। आधुनिक विद्वान शिक्षक प्रशिक्षण के स्थान पर शिक्षक शिक्षा को ही स्वीकार करते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षक शिक्षा की सुविधाएं बढ़ी हैं, पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षक शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता, सुधार और धनराशि के आवंटन में उदारता बरती गई। महिलाओं के लिए शिक्षण सुविधाओं में वरीयता दी गयी तथा उनके लिए पृथक दीक्षा विद्यालय खोले गये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि किसी समाज में अध्यापकों के दर्जे से उसकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण का पता लगता है। कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। सरकार व समाज पर ऐसी परिस्थितियाँ बनाने का दायित्व है जिनसे अध्यापकों को सृजन एवं निर्माण की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। शिक्षक की योग्यता पर राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है यह सभी मानते हैं। अध्यापन का कार्य भी सभी कार्यों में श्रेष्ठ है। लेकिन क्या कारण है कि शिक्षण कार्य को निम्न दृष्टि से देखा जाता है। शिक्षक आज भी

उपेक्षा एवं उदासीनता के घेरे में हैं। उसका सामाजिक स्तर अन्यन्त निम्न है और उसकी सामान्य सेवा कार्य सम्बन्धी दशा अत्यन्त शोचनीय है।

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। मशीनों के प्रयोग से शिक्षा का यन्त्रीकरण हो रहा है। रेडियों, टी.वी., टेपरिकार्डर, ग्रामोफोन, भाषा के प्रयोगशालायें शिक्षाप्राप्त करने एवं शिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण साधन बनती जा रही है। यद्यपि आज की शिक्षा विषय केन्द्रित न होकर बालक केन्द्रित बनती जा रही है परन्तु फिर भी शिष्य, शिक्षक और पाठ्यक्रम में शिक्षक की भूमिका महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो शैक्षणिक योजनाओं को क्रियात्मक रूप देता ह। शिक्षक का आचरण उसकी विचारधाराएँ, भावनाएँ तथा कार्य विद्यार्थियों और समाज के अन्य व्यक्तियों को एक नवीन समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में भी शिक्षकों का दायित्व कई गुना बढ़ गया है इसमें शिक्षक वर्ग में पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को उचित सामाजिक स्तर प्रदान करने एवं शिक्षकों को प्रभावशाली ढंग से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने पर बल दिया गया है।

जैस–जैसे देश में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है वैसे–वैसे शिक्षक की गुणवत्ता तथा स्तर नीचे आता जा रहा है। परीक्षाओं का छात्रों के प्रदर्शन द्वारा मूल्यांकन करके गुणवत्ता का अनुमान किया जा सकता है। परन्तु यह शिक्षा की गुणवत्ता मापने का उचित पैमाना नहीं माना जा सकता है क्योंकि इससे केवल विषय का ज्ञान ही हो पाता है। किसी भी शिक्षार्थी को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता अनेक तथ्यों पर आधारित होती है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षा के अकादमिक स्तर को सुधारना होगा, विद्यालयों का वातावरण सुधारना होगा तथा शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में रूचि उत्पन्न करनी होगी।

**भारत के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा**

अध्यापक शिक्षा के गुणगत स्तर को यदि शैक्षिक तथा उद्यमगत दृष्टि से देश के शैक्षिक संस्थानों तथा भावी अध्यापक वर्ग को कार्यकुशलता एवं दक्षता प्रदान करने के लिए, उन्हें मानवीय शैक्षिक संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए तथा भावी राष्ट्रीय नागरिकों के निर्माण सम्बन्धी दायित्व एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक माना जाता है तो शायद आज के सन्दर्भ में अनुचित या अनपेक्षित नहीं कहा जा सकता है। 1978 में प्रस्तुत ''शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमः के अन्तर्गत, तथा 1988 में इस दस्तावेज में किये गये संशोधन, 1996 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तुत परिचर्चा प्रलेख'' अध्यापक शिक्षा का पाठ्यचर्या प्रारूप'' एवं 1998 में इसके संशोधित रूप ''गुणवत्ताधारित अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम प्रारूप'' जैसे दस्तावेजों के माध्यम से आधुनिक संदर्भ में अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता स्थापित करने के लिए भारतीय ग्रामीण परिक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विस्तृत करने का प्रयास किया गया है।

विद्यालयीय शिक्षा प्रणाली और समाज सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दोनों ही दृष्टि से प्रचलित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को अव्यवहारिक पाया गया, जबकि इसे शैक्षिक एवं सामाजिक दोनों ही आधारों पर उपयोगी होना आवश्यक है। साथ ही राष्ट्रीय मूल्य, लक्ष्य, मान्यताएं, आदर्श आदि की उपलब्धि के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। यह मात्र सम्बन्धित सूचनाओं के सम्प्रेषण का कार्य न रह जाये। आन्तरिक समाकलन के अभाव में सैद्धान्तिक और प्रयोगिक घटक असंगठित हैं, नवीनतम शैक्षिक प्रगति, शोध परिणाम, अन्य प्रयोग, दक्षता, कौशल आदि के विकास भी वांछित ढंग से अध्यापक कार्यक्रमों के माध्यम से सम्पन्न कराने की आवश्यकता है। अतः इन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज मानव समाज को आधुनिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता है।

**अध्ययन का महत्व**

शिक्षण कौशल अतिमहत्वपूर्ण अवयव है जिनके द्वारा सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को संरचित करने में सहायता मिलती है। यही कारण है कि इसके कार्यों में शिक्षण प्रक्रिया का आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है जबकि प्रक्रियात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षण क्रिया का संचालन करना सम्भव हो पाता है। शिक्षक का महत्त्व इस कारण है क्योंकि वह राष्ट्र का निर्माता है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रापत करने के पश्चात् ही सही अर्थों में शिक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं तथा समाज में आयी चुनौतियों का सामना करने में अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के दौरान विद्यार्थियों में विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास किया जा सकता है। जीवन मूल्यों, मानवीय सहिष्णुता, प्रेम, त्याग, समर्पण, सहानुभूति, अहिंसा, कर्त्तव्यपरायणता आदि का विकास किया जा सकता है। 21वीं सदी में कदम बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जाये तभी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है।

शिक्षक को भी चाहिए कि वह अपने शिक्षण में गुणात्मक सुधार करें। छात्रों को नियमित रूप स गृहकार्य दे। कक्षा में कार्यों की जाँच करें। शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करवायें तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को पाठ्यक्रम के साथ जोड़कर छात्रों की क्रियात्मक गतिविधियों को उजागर करें। गुणवत्ता युक्त शिक्षा शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को जीवन संग्राम के लिए तैयार करती है और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करती है।

आज आवश्यकता ऐसे शिक्षकों की है जो आत्मोत्सर्ग की भावना से परिपूर्ण हो परन्तु शिक्षा के प्रति आत्मोत्सर्ग की भावना जागृत करने के लिए शिक्षा के अध्यापन–व्यवसाय को आर्थिक एंव सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपर्ण स्थान प्रदान करना सरकार का कर्त्तव्य है। शिक्षक वर्ग को भी अपने व्यवसाय से संलग्न उत्तरदायित्वों को उत्साह और गौरव के साथ निर्वाह करना होगा। आज हमारा समाज एवं देश जिस स्थान तक पहुँच सका है, यह हमारे महापुरुषों की शिक्षा एवं उपदेशों का ही प्रभाव है। वास्तव में कोई भी समाज शिक्षक का सम्मान किये बिना सफल समाज का निर्माण नहीं कर सकता। हमारा अतीत साक्षी है कि शिक्षक एवं गुरु का स्थान ऊँचा है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

भारतीय अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य एक प्रजातान्त्रिक समाजोपयोगी नागरिक और सामुदायिक व्यक्ति का निर्माण करना है जो भावी नागरिकों के सर्वांगीण विकास को सम्भव बना सकें। पाठ्यक्रम को सैद्धन्तिक कम और प्रायोगिक तथा व्यवहारिक अधिक बनाने के लिए प्रयास किया गया है। प्रविधि में अनिर्देशित और अधिगम केन्द्रित विधि एवं व्यूह रचनाओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है जो उच्च शिक्षा के खेत्र में अधिक सार्थक सिद्ध हो सके। प्रारूप में पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक के लिए बहु स्तरीय विन्यास को स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में हमारे देश में अध्यापक शिक्षा की प्रचलित प्रणाली प्रायः विदेशी प्रणालियों, विशेषकर ग्रेट ब्रिटेन की प्रणाली पर आधारित है।

**भारत में अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति**

विस्तृत ग्रामीण परिक्षेत्र में बसने वाले राष्ट्र भारत में अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि अध्यापक शिक्षा की प्रणाली को ग्रामीण अंचल की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के आधार पर नहीं बनाया गया है। इसमें पूर्ण रूप से शहरीकरण होने के कारण ग्रामीण अंचल के अध्यापक इस शिक्षा से अधिकतर वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण से ग्रामीण परिक्षेत्र में अध्यापक शिक्षा का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है एवं इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार की नयो एवं पुरानी समस्याएं दृष्टिगत होती रहती है।

अध्यापक शिक्षा पर पूर्ण रूप से राजनीति ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। अधिकतर शिक्षा महाविद्यालय राजनीतिज्ञों के अधीन हैं जिसके कारण अध्यापक शिक्षा संस्थानों में मानकों के पूर्ण न होने पर भी राजनीतिक दबावो तथा धनबल के कारण सम्बद्धता प्राप्त हो जाती है और मानकों के पूर्ण न होने का सीधा दुष्प्रभाव अध्यापक शिक्षा पर होता है जबकि अध्यापक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्ष नीति के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की स्थापना की गयी एवं आवश्यकतानुसार इसे चार क्षेत्रीय समितियों में विभाजित किया गया परन्तु धनबल एवं अन्य जटिलताओं के कारण ये भी पूर्ण रूप से प्रभावी सिद्ध न हो सकीं।

इसके लिए देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले कानपुर का उदाहरण दिया जा सकता है। यहाँ छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर जिससे 14 जिलों के विस्तृत परिक्षेत्र में फैले महाविद्यालय सम्बद्ध हैं एंव जिनसे लगभग 50 राजकीय तथा अनुदानित महाविद्यालय हैं जो कि वर्तमान में शिक्षा के स्तर के विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए नगण्य हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य मे स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या लगभग 800 हो गयी है। जहाँ राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों का सर्वथा अभाव है, वहीं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में अधिकतर मानकों के अभाव में भी अध्यापक शिक्षा को ढो रहे हैं।

यही नहीं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ पर शिक्षकों को दैनिक मजदूरों के समान वेतन दिया जाता है। महाविद्यालय में न तो शिक्षकों एवं प्रवक्ताओं के लिए समुचित सुविधाएं हैं और न ही शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता को ध्यान रखा जाता है। इन महाविद्यालयों में स अधिकतर में न तो प्रयोगशालएं हैं और न ही विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने की समुचित व्यवस्था रहती है। कुछेक महाविद्यालयों में तो आने–जाने के लिए समुचित मार्ग भी नहीं हैं और यहाँ तक की कुछेक महाविद्यालय तो वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की भाँति मात्र कागजों पर ही विराजमान हैं।

प्रबन्धकों ने महाविद्यालयों को अपनी फैक्ट्री समझ रखा है और अपने स्टाफ को अपना मजदूर। उन्हें न तो शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के जीवनयापन और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की चिन्ता है और न ही विद्याथियों के भविष्य की। उन्हें चिन्ता है तो मात्र यह कि इस वित्तीय वर्ष में कितना धन उनके महाविद्यालय से उन्हें प्राप्त होगा।

ऐसे महाविद्यालयों में अनुमोदित शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हस्ताक्षर कराकर उनसे ब्लैंक चेकबुक ले ली जाती है और एटीएम कार्ड जमा करा लिये जाते हैं। महंगाई में निरन्तर बढ़ोत्तरी होने के बावजूद अधिकांश महाविद्यालयों में 10–10 वर्षों तक किसी भी शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी की वेतनवृद्धि नहीं दी जाती। यही नहीं, उन्हें फण्ड, बीमा, बोनस आदि की सुविधा भी नहीं मिलती। यद्यपि नियमतः महाविद्यालय में आने वाले कुल शिक्षण शुल्क का 70–80 प्रतिशत भाग महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतन पर व्यय होना चाहिए परन्तु यह भी अन्य अनेक नियमों की भाँति मात्र एक कागजी खेल बन कर रह गया है और कोई भी महाविद्यालय इस नियम का पालन करता नहीं पाया जाता। बेरोजगारी का दंश झेल रहे शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी इने जुल्मों को सहने के लिए मजबूर हैं। इसी कारण से शिक्षक भी अपना अनुमोदन कई विश्वविद्यालयों में एक साथ कराने पर मजबूर हैं जिससे कम से कम उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। विद्यार्थियों के हालात यह हैं कि उन्हें वर्ष भर किसी न किसी बहाने से महाविद्यालय प्रबन्धकों के आदेश पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त हजारों, रुपये अनेक प्रकार की सुविधाओं एवं प्रक्रियाओं जैसे प्रायोगिक परीक्षाओं, भ्रमण, स्काउट एण्ड गाइड, कॉशन मनी, परीक्षा फार्म, परिचयपत्र, स्थानानतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाणपत्र और यहाँ तक की अंकतालिका और डिग्री लेने आदि के लिए भी पैसे देने पड़ने हैं। ऐसे में इसे शिक्षा का विकास कम, महाविद्यालय प्रबन्धकों का विकास ही अधिक कहा जा सकता है।

**शोध विधि**

वर्तमान शोध समस्या के अन्तर्गत वर्णित दार्शनिक शोध विधि का पयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन कार्यकुशलता एवं दक्षता का है। इसके अन्तर्गत भारत में अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की कार्यकुशलता एवं दक्षता को लिया गया है।

**आलोचनात्मक समीक्षा**

वर्तमान समय में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेकानेक समस्याएं विद्यमान हैं तथा नित्य नयी चुनौतियां

उभर रही हैं। इनके पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक कारण निहित हैं। प्रत्येक स्तर पर अध्यापक शिक्षा का मूलभूत लक्ष्य उत्तम अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का निर्माण सुनिश्चित करना है, जिनमें गुणात्मक स्तर उच्च हो तथा जो समाज एवं समुदाय के लिए दिशा–निर्देशक का कार्य करने में सर्वथा समक्ष हो।

**निष्कर्ष**

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिक के बारे में जानकारी, संगणक–साहाय्यित शिक्षण सम्बन्धी योग्यता अनुभव, सम्प्रेषण प्रक्रिया के बारे में ज्ञान तथा शिक्षण कौशलों में निपुणता के साथ ही अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी का होना आदि उत्तम अध्यापक के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। सूचना प्रौद्योगिक के बारे में जानकारी, संगणक–साहाय्यित शिक्षण के बारे में नवाचारों के अन्तर्गत व्यापक जानकारी, शिक्षण कौशलों के बारे में आलोचना, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में विचार, सम्प्रेषण प्रक्रिया तथा आधुनिक अध्यापन एवं अधिगम की संकल्पनाओं की जानकारी प्रमुख रूप से चुनौती की तरह सामने आ रही है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसका निर्माण शैक्षिक नियोजक से लेकर अध्यापक, छात्र, अभिभावक, बुद्धिजीवी आदि के विचारों एवं सुझावों को समावेशित करते हुए किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करना सम्भव हो सके। शिक्षण की अवधारणा बदल रही है। आज शिक्षण केवल ज्ञान देने तथा सूचना प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, वह सीखने वालों की इस तरह स सहायता कर रही है कि वे बदलने समय में स्वयं ही अपना कौशल विकसित कर सकें। अतः ज्ञान में वृद्धि, विद्यार्थियों में जागरूकता का संवर्द्धन, अभिभावकीय अभिवृत्ति, मूल्य सामाजिक अंतःक्रिया, खेल के माध्यम से विद्यार्थियों का ज्ञानात्मक विकास जिस दर से बढ़ा है, अध्यापक यदि उस दर से अध्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं हैं, तो अनेकानेक समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जनसंचार माध्यम के साधन बढ़ने के साथ ही अध्यापक के लिए नवीन चुनौतियां उत्पन्न हुई और हो रही हैं। अतः प्रशिक्षण का प्रभावी और पुनः पौनिक होना (सेवारत काल में) अपरिहार्य बन चुका है।

**सुझाव**

विषय–वस्तु के परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट ज्ञान एवं अधिगम मनोविज्ञान के बारे में व्यवहारिक अनुभव का होना अपेक्षित है। विषयगत जानकारियों के साथ ही सम्बन्धित क्षेत्र में होने वाले नित्य नवीन परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के बारे में भी भिज्ञ होना अध्यापन क क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति के लिए अपरिहार्य बन जाता है। साथ ही सन्दर्भ पक्ष से भी उन्हें परिचित होने की आवश्यकता होती है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय लक्ष्य तथा उद्देश्य, आर्थिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक विकास आदि के परिप्रेक्ष्य में भारतीय विचारधारा एवं मूल्यों के बारे में जानकारी रखना सन्निहित है।

ज्ञान के विस्फोट के इस समय में कुशल एवं दक्ष अध्यापक–अध्यापिकाओं के लिए कुशल सम्प्रेषण क्षमता, अद्यमगत दक्षता तथा शिक्षण प्रबन्धन सम्बन्धी योग्यता, कुशल सम्प्रेषक वह व्यक्ति हो सकता है जो सम्प्रेषण कौशल में दक्ष हो और परिणामस्वरूप उनके अध्यापन काल में सम्प्रेषण अन्तराल न्यूनतम हो, जो प्रभावी शिक्षण के लिए अतिआवश्यक तत्व है।

उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने की योग्यता एवं कुशलता नेतृत्व क्षमता, प्रभावी कार्य–आदत, उत्तम सांस्कृतिक तथा सांस्कारिक पृष्ठभूमि, मानव सम्बन्ध विकास तथा मानवाधिकार संरक्षण में रुचि, निष्पक्षता, दृढ़ता तथा मान्यताओं का अनुपालन करने में प्रवणता आदि। वह न केवल अपने अधिगमकर्ताओं बल्कि सम्पूर्ण समाज एवं समुदाय के लिए एक कुशल शैक्षिक, व्यवसायिक एवं वैयक्तिक मार्गदर्शन एवं परामर्शदाता की भूमिका के निवर्हन होना चाहिए। शिक्षक की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि की जानी चाहिए। परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए। ''उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए यू.जी.सी. ने अन्तर विश्वविद्यालय संस्था की स्थापना की है जो गुणवत्ता एवं मान्यता सम्बन्धी मुद्दों पर अपनी नजर रखती है।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची**

1. शिक्षा दर्शन, डॉ. डी.सी. मिश्रा, अनुसंधान प्रकाशन, कानपुर 7वां संस्करण, 2009
2. अध्यापक शिक्षा, डॉ. जी.सी. भट्टाचार्य, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा 5वां संस्करण, 2010–11
3. आधुनिक भारत में शिक्षा, डॉ. अवधेश किशार, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, प्रथम संस्करण, 2008
4. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, डॉ. मनीष दुबे, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2010
5. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रो. रमन बिहारी लाल, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ 17वां संस्करण, 2010
6. भारतीय शिक्षा का इतिहास पी.डी. पाठक, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा 25वां संस्करण,